



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार - 249404

संख्या: 214/01/डी0आर0(डिप्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 01 नवम्बर, 2023

### अनर्ह सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों में अंकित A.P.I. स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक ऑनलाईन आवेदन में किये गए दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गए प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान (ZOOLOGY) विषय के निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम-3 के अनुसार अनर्ह किया गया है:-

क्र०सं०	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	516826	1. अभ्यर्थी से विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
2.	516846	अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D पर्यावरण विज्ञान (ENVIRONMENTAL SCIENCE) विषय में उत्तीर्ण की गयी है, इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट-01 में उक्त विषय सह-विषय नहीं है एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
3.	516896	अभ्यर्थी द्वारा स्नातक, परास्नातक फिशरीज साइंस (Fisheries Science) विषय में एवं Ph.D Fisheries Resource Management विषय में धारित की गई है। अतः अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर मुख्य विषय जन्तु विज्ञान धारित नहीं करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार स्नातक स्तर पर मुख्य विषय जन्तु विज्ञान का अध्ययन होना आवश्यक है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-3538 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
4.	516916	अभ्यर्थी द्वारा स्नातक फिशरीज साइंस (Fisheries Science), परास्नातक मात्स्यकी विज्ञान प्रग्रहणोपरांत प्रौद्योगिकी (Fisheries Science in Post Harvest Technology) विषय में एवं Ph.D, Post Harvest Technology विषय में धारित की गई है। अतः अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर मुख्य विषय जन्तु विज्ञान धारित नहीं करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार परास्नातक FISHERIES व स्नातक स्तर पर मुख्य विषय जन्तु विज्ञान का अध्ययन होना आवश्यक है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-3538 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
5.	516963	1. अभ्यर्थी से विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र वांछित है। 2. विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न न करने के कारण अनर्ह किया गया है।

6.	516995	<p>1. अभ्यर्थी परास्नातक जन्तु विज्ञान (ZOOLOGY) एवं NET, Environment Science विषय में धारित करता है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-3538 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा NET में धारित विषय के पाठक्रम में साम्यता नहीं है।</p> <p>2. तद्क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
7.	516999	<p>अभ्यर्थी परास्नातक Medical-Microbiology विषय व Ph.D, Biosciences विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-3538 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D में धारित विषय के पाठक्रम में साम्यता नहीं है। तद्क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
8.	517021	<p>अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक एवं Ph.D Biotechnology विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार उक्त विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D में धारित विषय के पाठक्रम में साम्यता नहीं है। तद्क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
9.	517094	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी दिनांक 20.09.2018 जिसकी वैधता तिथि 20.09.2021 तक (विज्ञापन से पूर्व) है व 30.04.2022 जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 24.012.2021 के पश्चात का है संलग्न किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 24.012.2021 तक उत्तराखण्ड की सेवाओं हेतु ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी की आख्या/प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. उत्तराखण्ड की सेवाओं हेतु वैध ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
10.	517099	<p>अभ्यर्थी परास्नातक BIOSCIENCE व Ph.D, NET-JRF LIFE-SCIENCE विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक में धारित विषय के पाठक्रम में साम्यता नहीं है। तद्क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
11.	517108	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा स्नातक, परास्नातक FISHERIES SCIENCE विषय व Ph.D, ZOOLOGY विषय में धारित की गई है। अतः अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय जन्तु विज्ञान विषय का अध्ययन नहीं करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार उक्त विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-3538 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक में धारित विषय के पाठक्रम में साम्यता नहीं है।</p> <p>2. तद्क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
12.	517111	<p>अभ्यर्थी परास्नातक व Ph.D जैव प्रौद्योगिकी (BIOTECHNOLOGY) तथा SET, LIFE SCIENCE विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D में धारित विषय के पाठक्रम में साम्यता नहीं है। तद्क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>

13.	517134	अभ्यर्थी परास्नातक व NET-JRF, CLINICAL RESEARCH विषय तथा Ph.D, CLINICAL AND TRANSLATIONAL SCIENCES विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक, Ph.D व NET-JRF में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
14.	517135	अभ्यर्थी परास्नातक एवं Ph.D सूक्ष्मजैविकी (MICROBIOLOGY) विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
15.	517217	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह किया गया है।
16.	517220	अभ्यर्थी परास्नातक MICROBIOLOGY विषय व NET-JRF, Life Science विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
17.	517235	अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक व Ph.D जैव प्रौद्योगिकी (BIOTECHNOLOGY) विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा Ph.D व परास्नातक में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
18.	517239	1. अभ्यर्थी से विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
19.	517255	अभ्यर्थी स्नातक व परास्नातक FISHERIES SCIENCE विषय तथा Ph.D, व NET, FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-3538 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक, Ph.D व NET में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
20.	517262	अभ्यर्थी परास्नातक MICROBIOLOGY विषय व NET-JRF, Life Science विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।



29.	517362	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>2. विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
30.	517389	<p>अभ्यर्थी परास्नातक BIOTECHNOLOGY विषय व Ph.D ANIMAL SCIENCE (ZOOLOGY) विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है। तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-3538 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
31.	517393	<p>अभ्यर्थी परास्नातक BIOMEDICAL SCIENCE विषय एवं NET, LIFE SCIENCE विषय में धारित करता है। इस संबंध में विज्ञापन के परिशिष्ट 01 के अनुसार जन्तु विज्ञान विषय व अभ्यर्थी द्वारा धारित विषय सह-विषय नहीं है तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-2652 दिनांक 25.07.2022 के अनुसार विज्ञापित जन्तु विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक में धारित विषय के पाठ्यक्रम में साम्यता नहीं है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
32.	517418	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र वांछित है।</li> <li>2. विज्ञापन की शर्तानुसार विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्ह सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में आपत्तियों से संबंधित अभिलेखों/साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404** के कार्यालय को **दिनांक 16.11.2023 (बृहस्पतिवार)** के सांय 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-SD-  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव